

प्रस्तावित वन भूमि हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत टीवाईडीसीयु (एनएच) पीडब्लूडी, गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रामा सं-29ई) के किमी 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी 98.945 (मोहददीपुर चौराहा) तक मार्ग को फोरलेन में चौड़ीकरण एवं सुध्दीकरण कार्य के अंतर्गत किमी 85.500 (मानीराम रेलवे क्रोसिंग) पर प्रस्तावित आरओबी के निर्माण में प्रभावित रेलवे लाईन की पटरियां संरक्षित वन भूमि के अंतर्गत है। जिस पर वन विभाग का स्वामित्व है। परियोजना में 0.19384 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है। उक्त भूमि डेंस फारेस्ट के अंतर्गत आती है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक-5-3/2007-एफसी दिनांक-05.02.2009 द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु एनपीवी की दर रू० 8.03 लाख प्रति हे० निर्धारित की गयी है। प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का मूल्य $0.19384 \times 803000 = \text{रू० } 155,653.52$ होगा।

श्री एमके० अग्रवाल
काय अधिकारी
काय अधिकारी
नं० नि० ५० (रा० मा०)
आ० नि० ५० (रा० मा०)
लो० नि० वि०, गोरखपुर

CS
MV
40 9
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर